संख्या-17/2017/क0नि0-4-1261/11-2017-2(1)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 22 नवम्बर, 2017**

विषयः-श्री राजीव सिंह व श्री संजीव सिंह, भवन संख्या-389/12, कोठियात, डी0एम0 कॉलोनी, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर के भवन का किराया नवीनीकरण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति-किराया/भ0प0-श्री राजीव सिंह व श्री संजीव सिंह, बुलन्दशहर/292/वाणिज्य कर, दिनांक 05.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय बुलन्दशहर हेतु श्री राजीव सिंह व श्री संजीव सिंह भवन संख्या-389/12, कोठियात, डी0एम0 कॉलोनी, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर स्थित भवन में उपलब्ध 1552.90 वर्गफुट कारपेट एरिया का दिनांक 16.09.2015 से आगामी 05 वर्षों तक अथवा भवन रिक्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, रू0-10.00 प्रतिवर्ग फुट की दर से कुल रू0-15,529.00 (रूपये पन्द्रह हज़ार पांच सौ उन्तीस मात्र) प्रतिमाह के हिसाब से किराया नवीनीकरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर- 03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

4- उक्त किराया अनुबन्ध विलेख विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य, निर्धारित प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2017/क0नि0-4-1261(1)/11-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ।

3- एडी0 कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4- एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बुलन्दशहर ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- गार्डबुक।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।